



Neutral Citation No.-2026:AHC:9991

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-60 वर्ष 2026

बबलू आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: उदय प्रताप

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री उदय प्रताप, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक की ओर से यह दूसरी जमानत याचिका है। पहले मामले को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 2025 के आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-4762 में पारित दिनांक 13.10.2025 के आदेश द्वारा नए सिरे से दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया था।
4. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा 2024 के केस अपराध संख्या-229 से उत्पन्न 2024 के सत्र परीक्षण संख्या-534 में धारा 302 भ०द०वि०, थाना-सलेमपुर, जिला: देवरिया के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। किसी ने भी आवेदक को मृतक व्यक्ति के साथ मारपीट करते नहीं देखा है। यह अंधाधुंध हत्या का मामला है। प्राथमिकी से पता चलता है कि आवेदक ने मृत व्यक्ति को फोन किया था और उक्त अपराध किया था, लेकिन घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। इसके बाद, दो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



झूठे गवाह जुटाए गए हैं, जिनके नाम हैं, गोलू कुमार और जसवंत कुमार, जिनके सामने मृतक ने एक मृत्युपूर्व घोषणा दी थी कि यह आवेदक था जिसने उस पर हमला किया था।

6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि उक्त बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि मृतक ने केवल आवेदक के नाम का उल्लेख किया था, लेकिन उसने घटना का कोई विवरण नहीं दिया। आवेदक 28.05.2024 से जेल में है और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. तत्सम विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है कि गोलू कुमार और जसवंत कुमार के बयान अभिलेखों पर हैं, जिसके तहत मृतक ने प्रस्तुत मामले में आवेदक की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए मृत्युपूर्व घोषणा दी थी। आवेदक एकमात्र नामित आरोपी व्यक्ति है क्योंकि उसने मृत व्यक्ति को बुलाया था, इसलिए वह जमानत का हकदार नहीं है।

8. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और गवाहों, अर्थात् गोलू कुमार और जसवंत कुमार के बयानों को ध्यान में रखते हुए, मुझे आवेदक को जमानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता। जमानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, खारिज किया जाता है।

9. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 14, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।